उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

संख्याःपॉच–111–आर(वरिष्ठता)2014 दिनाकःअक्टूबर 27,2014

कार्यालय ज्ञाप

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पदोन्नति(रैंकर) चयन वर्ष 1999 के अन्तिम चयन में असफल अभ्यर्थियो द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली में सिविल अपील संख्या–6549/2014 विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 8400/2008 प्रदीप कुमार राय व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के साथ बन्च 07 अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाएं योजित करके चयन परिणाम को निरस्त करने की याचना की गयी थी।

2– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात् विशेष अनुज्ञा याचिकाओ को निस्तारित करतें हुये निर्णय दिनांक 15–07–2014 पारित किया गया है, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

"The earlier Rules 2008 having been done away with and there being huge number of vacancies against the promotional quota (2500 approximately), we are of the view that all these appeals may now to be disposed of by directing the State of U.P. to initiate and complete the process of promotion of all eligible candidates, including the appellants to the cadre of Sub-Inspector under the Rules of 2013 within a period three months from today.

We have noticed that under the Rules of 2013 only Head Constables are eligible for promotion to the post of Sub-Inspector whereas under the earlier Rules even constables were so eligible. In this regard, it is stated by Mr. Gaurav Bhatia, learned Additional Advocate General, Uttar Pradesh, that such of the appellants who may have been constables earlier, by this time, must have been promoted to the post of Head Constable in view of the huge number of vacancies in the cadre. Notwithstanding the above, we further direct that, in the event, any of the appellants, who are still holding the post of Constable and have not been promoted to the post of Head Constable, their cases for promotion to the post of Head Constable will be finalised before the directions of this Court with regard to promotion to the post of Sub-Inspector for the cadre of Head Constable is given effect to."

3– मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–07–2014 के अनुपालन हेतु याचीगणों को चिन्हित कर उनकी स्थिति ज्ञात करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को श्री रवि प्रकाश मेहरोत्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, उ0प्र0 शासन, मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली से सम्पर्क कर सम्बन्धित विशेष अनुज्ञा याचिकाओं एवं इन्ट्रोलोकेटरी अप्लीकेशन की प्रतियॉ प्राप्त कर उपलब्ध कराने का अनुरोध पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या पॉच–111–आर(रिट–165)2006 दिनांक 25.07.2014 एवं अनुस्मारक दिनांक 30–7–2014, 5–8–2014, 6–8–2014, एवं 26–8–2014 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,गाजियाबाद के माध्यम से श्री रवि पी0 मेहरोत्रा,एडवोकेट आन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से प्राप्त कर पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। इसके उपरान्त पुलिस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 4–9–2014 द्वारा श्री रवि पी0 मेहरोत्रा,एडवोकेट आन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से विशेष अनुज्ञा याचिकाओ एवं इन्ट्रोलोकेटरी अप्लीकेशन की प्रतियॉ उपलब्ध कराने हेतु विशेष वाहक भेजकर प्राप्त करने का प्रयास किया गया। उपरोक्त प्रयास के फलस्वरूप मात्र 08 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं की प्रति प्राप्त हुई परन्तु 05 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में इप्लीमेन्ट अप्लीकेशन माध्यम से जुड़े याचीगण की सूची प्राप्त नहीं हुई।

4– उप निरीक्षक ना0पु0 पदोन्नति परीक्षा प्रक्रिया वर्ष 1999 में निर्धारित शर्ते पूर्ण करने वाले आरक्षी ना0पु0, मुख्य आरक्षी ना0पु0, आरक्षी सशस्त्र पुलिस, मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस, मुख्य आरक्षी विशेष श्रेणी एलआईयू, आरक्षी व मुख्य आरक्षी पीएसी सहित अन्य शाखा के आरक्षी व मुख्य आरक्षी इस परीक्षा में सम्मिलित हुये थे। उप निरीक्षक ना0पु0 पदोन्नति परीक्षा प्रक्रिया वर्ष 1999 की मुख्य लिखित परीक्षा में विभिन्न शाखाओं के कुल–12176 कर्मी सम्मिलित हुये तथा कुल–9671 साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार के पश्चात् श्रेष्ठता के आधार पर कुल–1140 कर्मी चयनित हुये इस प्रकार असफल कर्मियो की संख्या–8531 है।

5– उपरोक्त विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में अंकित कर्मियों में अधिकांश कर्मियों के पीएनओ नं0 अंकित नहीं थे, कुछ कर्मियों के पद, वर्तमान नियुक्ति अंकित नहीं थी तथा कुछ कर्मियों के पता में मात्र गृह जनपद ही अंकित था। इस प्रकार याचीगणों के नाम की सूची तो तैयार हो गयी परन्तु इस सूची में अधिकांश याचीगणों के पद और उनकी वर्तमान तैनाती की सूचना नहीं थी। इस तरह तैयार की गयी सूची से याचीगणों के नामों तथा जो भी अन्य सूचना उपलब्ध हो सकी उसके आधार पर उत्तर प्रदेश नामिनल रोल डाटा बेस प्रणाली में इन कर्मियों को ढूढ़ने का प्रयास किया गया तथा इनके संबंध में प्रदेश के समस्त जनपदों एवं इकाइयों से पत्र एवं दूरभाश से वार्ता के माध्यम से याचीगणों की अधूरी सूचना पूर्ण कराने का प्रयास किया गया।

6– इस कम में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या पॉच–111–आर(रिट–165)2006 दिनांक 12–08–2014 द्वारा याचीगणों को चिन्हित कर उनसे सम्बन्धी विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध पुलिस विभाग के सभी इकाईयों एवं जनपदों से किया गया। उप निरीक्षक ना0पु0 पदोन्नति परीक्षा प्रक्रिया वर्ष

1999 में निर्धारित शर्ते पूर्ण करने वाले आरक्षी ना0पु0, मुख्य आरक्षी ना0पु0, आरक्षी सशस्त्र पुलिस, मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी एलआईयू, मुख्य आरक्षी एलआईयू, आरक्षी व मुख्य आरक्षी पीएसी सहित अन्य शाखा के आरक्षी व मुख्य आरक्षी इस परीक्षा में सम्मिलित हुये थे। पुलिस मुख्यालय की विज्ञप्ति दिनांकित 11.09.2014 को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर याचीगणों को अपने से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप में सूचना 10 दिवस के अन्दर प्रत्यावेदन, शपथ–पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। साथ ही दिनांक 12.09.2014 व 14.09.2014 को समस्त जनपदो/इकाईयो से सूचना प्राप्त कर भेजने का अनुरोध किया गया। हर सम्भव प्रयास के पश्चात् याचीगणो के प्राप्त नाम व उनसे सम्बन्धित सूचना तथा एडवोकेट आन रिकार्ड मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के माध्यम से प्राप्त अभिलेखो के आधार पर कुल–971 की सूची तैयार कर पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या पॉच–111–आर(रिट–165)2006 दिनांक 14.09.2014 द्वारा समस्त जनपदो/इकाईयो को भेजते हुये याचीगणों को अवगत कराने तथा उनसे सम्बन्धित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया। यह सूची उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.inpage.aspx?estt.-matters-of-civil-police पर भी डाला गया। जनपद व इकाईयो से प्राप्त सूचना एवं विभिन्न अभ्यर्थियो द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आधार पर अब उक्त सूची में कुल 1095 ऐसे अभ्यर्थियों का नाम सम्मिलित है जिनके द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में उपरोक्त विशेष अनुज्ञा याचिकायें योजित की गयी है अथवा वह इम्प्लीडमेन्ट अप्लीकेशन(Impleadment Application) के माध्यम से उपरोक्त विशेष अनुज्ञा याचिकाओ में शामिल हुए है।

7– मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित उपरोक्त 08 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं एवं इम्प्लीडमेन्ट अप्लीकेशन(Impleadment Application) के माध्यम से उपरोक्त विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में शामिल याचीगणों को चिन्हित करने की कार्यवाही के मध्य उप निरीक्षक ना0पु0 पदोन्नति परीक्षा प्रक्रिया वर्ष 1999 की मुख्य लिखित परीक्षा में असफल अन्य अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद व खण्डपीठ लखनऊ में अनेकानेक याचिकाये योजित कर उपरोक्त विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2014 के पालन में विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में सम्मिलित याचीगणों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के समान ही अन्य असफल अभ्यर्थियों के बारे में कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी है। उक्त रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं के याचीगण एवं अन्य अर्ह अभ्यर्थी के बारे में भी समान कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार अब मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कुल 8531 अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी होगी।

8– इसी मध्य विशेष अनुज्ञा याचिकाओं के कुछ याचीगणों द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ दो इन्ट्रोलोकेटरी अप्लीकेशन दाखिल कर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15–07–2014 को परिवर्तित/संशोधित कर याचीगण को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पूर्व नियमों के अन्तर्गत विद्यमान रिक्ति के समक्ष प्रोन्नति प्रदान करने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश को रिकॉल (Recall) कर गुण दोष के आधार पर विशेष अनुज्ञा याचिका निर्णीत करने आदि याचनायें की गई है। उक्त इन्ट्रोलोकेटरी अप्लीकेशन मा0 न्यायालय के विचाराधीन है तथा अगली सुनवाई हेतु दिनांक 31–10–2014 नियत है।

9– प्रश्नगत प्रकरण में पदोन्नति के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित कार्यवाहियॉ की जा रही है:–

1– मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय में 1095 याचीगण एवं इन्टरवेनर्स की सूची तैयार की गयी।

2– **आरक्षी ना0पु0 से मुख्य आरक्षी ना0पु0** के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही हेतु वर्ष 1982 से पूर्व की सूची पूर्व में ही तैयार की गयी थी तथा वर्ष 1982 से 1996 तक के आरक्षी ना0पु0 की उ0प्र0 नामिनल रोलडाटा बेस प्रणाली पर उपलब्ध सूचनानुसार सूची तैयार कर पुलिस की बेवसाइड http://uppolice.gov.inpage.aspx?estt.-matters-of-civil-police पर समस्त सम्बन्धित के सूचनार्थ एवं विद्यमान त्रुटियों के निवारण व प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या–पॉच–2500(वरिष्ठता)2014, दिनांक–19–10–2014 द्वारा प्रकाशित करते हुये प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये 08 दिवस का समय एवं प्रत्यावेदन निस्तारित कर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर 15 दिवस के अन्दर सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत किया जा चुका है।

3–तत्पश्चात् **मुख्य आरक्षी ना0पु0 से उप निरीक्षक ना0पु0** के पद पर उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा(सातवॉ संशोधन)नियमावली–2013 के अनुसार ही मुख्य आरक्षी ना0पु0 से उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु वरिष्ठता सूची दिनांक 7–6–2014 को पत्र संख्या–पॉच–111(वरिष्ठता)2013 के द्वारा पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.inpage.aspx?estt.-matters-of-civil-policeपर अपलोड की गयी थी।

4–आरक्षी सशस्त्र पुलिस से मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस के पद पर आरक्षी और मुख्य आरक्षी (षष्ठ संशोधन) नियमावली–2013 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न कराना।

5– आरक्षी पीएसी की वरिष्ठता सूची के अनुसार/तैयार कर ली गयी है। प्रथमतः **आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी पीएसी** के पद पर उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली,2013 के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न कराना।

6–मुख्य आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस से प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के पद पर उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 के अनुसार प्रोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न कराना।

7– सर्वोच्च न्यायालय की एस0एल0पी0 एवं उच्च न्यायालय की याचिकाओ में ना0पु0 के अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस, पीएसी एवं पुलिस विभाग के **अन्य इकाईयो के अनेक कर्मचारी** भी पक्षकार है, जो 2013 नियमावली के अन्तर्गत मुख्य आरक्षी ना0पु0 एवं उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र नहीं है। ऐसे याचीगणो के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा उनके संवर्ग में उपलब्ध रिक्तियो के सापेक्ष संशोधित नियमो के अनुरूप पदोन्नति की कार्यवाही उनके स्तर से सम्पन्न किया जायेगा।

8– मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में जो याचीगण जो वर्तमान नियमों के अनुसार पदोन्नति हेतु विचारण के पात्र नहीं पाये जायेगें, उनके सम्बन्ध में अलग से स्वमुखरित आदेश पारित किया जायेगा।

10– **वर्तमान में मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस, मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस, मुख्य आरक्षी पीएसी, उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस तथा उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/उपनिरीक्षक पीएसी(प्लाटून कमाण्डर) के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित है**

(क) शासकीय अधिसूचना संख्या–185/छः–पु–1–14–115–08 दिनांक 17–1–2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश आरक्षी और मुख्य आरक्षी(षष्टम संशोधन)सेवा नियमावली–2014 के नियम–5 व नियम–17 में(वर्तमान में पदोन्नति हेतु) द्वारा **आरक्षी नागरिक पुलिस से मुख्य आरक्षी ना0पु0** एवं **आरक्षी सशस्त्र पुलिस से मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस** के पद पर पदोन्नति दिये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित की गयी हैः–

<u>नियम–5</u>

(2) मुख्य आरक्षी– मुख्य आरक्षी के शत प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पात्र अभ्यर्थियों में ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

<u>नियम–17</u> मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति आरक्षी सिविल पुलिस के रूप में मौलिक रूप से भर्ती किये गये पात्र व्यक्तियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जाती हैः–

(क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे आरक्षियों में से भरें जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हों।

(ख) वे आरक्षी जो बिना पारी पदोन्नत किये गये हों और मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के रूप में कार्यरत हों, भी अपनी मौलिक श्रेणी में अपनी ज्येष्ठता के अनुसार मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।

(ख) शासकीय अधिसूचना संख्या 2038/6–पु–10–2013–27(65)2012 दिनांक 11.12.2013 द्वारा उ0प्र0 उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सातवॉ संशोधन) नियमावली– 2013 के नियम–5 व नियम–17 में **मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस** के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नलिखित प्रावधान प्रतिपादित किये गये हैः–

<u>नियम–5</u> :–

(एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से।

(दो) पचास प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नति उप निरीक्षक(नागरिक पुलिस) भी, जो खण्ड(दो) में उल्लिखित अपेक्षा पूर्ण करते है, उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।

नियम–17:–

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, के साथ बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा चयन समिति की संस्तुति के आधार पर भरे जायेंगे।

(ख) पात्र अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 3.2 किलोमीटर की दोड़ और महिला अभ्यर्थियों से 35 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर विचार किया जायेगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होंगे।

(ग) शासकीय अधिसूचनासंख्या–1436/छः–पु–2–13–1100(126)/2012टीसी दिनांक 06–06–2013 (तृतीय संशोधन) द्वारा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली,2013 के नियम–5 में **आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी पीएसी** के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नलिखित प्रावधान प्रतिपादित किये गये हैः–

नियम–5:–

(ख) मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी– (एक) नियम–4 के उप नियम–(2) के खण्ड–ग के अधीन मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या–के **100 प्रतिशत** पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षियों प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी में से भरे जायेंगे, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में **सात वर्ष** की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो) उप खण्ड(एक) के अधीन मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कास्टेबुलरी के पद पर पदोन्नति के लिए निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी भी पात्र होंगें, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों,

टिप्पणी–1 शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो अर्हकारी प्रकृति का होगा, में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर मुख्य आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के संबंध में ब्यौरा परिशिष्ट–2 में दिया गया है।

(घ) शासकीय अधिसूचना संख्या 460/छः–पु–2–14–1100(126)/2012,दिनांक 04–03–2014 द्वारा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली,2014के नियम–5 में **मुख्य आरक्षी स ास्त्र पुलिस व मुख्य आरक्षी पीएसी से उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर** के पद पर पदोन्नति हेतु निम्नलिखित प्रावधान प्रतिपादित किये गये हैः–

नियम–5:–

(ग) सब इन्सपेक्टर सशस्त्र पुलिस /प्लाटून कमाण्डरः–

(एक) नियम–4 के उप नियम (2) के खण्ड(ख) के अधीन सब इन्सपेक्टर सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(दो) नियम–4 के उप नियम (2) के खण्ड(ख) के अधीन सब इन्सपेक्टर सशस्त्र पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के विभिन्न बटालियनों जिला पुलिस और पुलिस विभाग की अन्य शाखाओं के ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेगे, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(तीन) उप खण्ड (दो) के अधीन सब इन्सपेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर पदोन्नति के लिए निः संवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर भी पात्र होंगे, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हो।

टिप्पणी– शारीरिक दक्षता परीक्षण जो अर्हकारी प्रकृति का होगा, में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर सब इंस्पेक्टर सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जायेगा।

11– उपरोक्त समग्र तथ्यों से स्पष्ट है कि उप निरीक्षक ना0पु0 पदोन्नति परीक्षा वर्ष 1999 असफल कर्मियो में आरक्षियो को मुख्य आरक्षी तथा मुख्य आरक्षियों को उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति वर्तमान सेवा नियमावली के अनुसार अपनी–अपनी शाखा में ही विद्यमान रिक्ति के सापेक्ष वरिष्ठता कम में ही प्रदान करने की कार्यवाही की जा सकती है। इसी के साथ वरिष्ठता कम में आने वाले वे अन्य सभी कर्मी भी पदोन्नति के पात्र होगें जिनका नाम वरिष्ठता सूची में आयेगा। ऐसी स्थिति में यह सम्भव नहीं हो सकेगा कि मात्र इस परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित सभी कर्मियों अथवा याचीगण को

पदोन्नति का लाभ दिया जाये परन्तु वरिष्ठता सूची में सम्मिलित अन्य कर्मियों को पदोन्नति से वंचित रखा जाय। अतः प्रचलित व्यवस्था के अनुसार मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित सभी कर्मियों अथवा याचीगण को पदोन्नति का लाभ दिया जाना संभव न हो सकेगा।

12— उप निरीक्षक ना0पु0 पदोन्नति परीक्षा 1999 में सम्मिलित होने के लिए ऐसे आरक्षी/मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/सशस्त्र पुलिस/पीएसी के कर्मी जो दिनांक 1—1—1999 को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हो एवं 40 वर्ष से अधिक आयु के न हो, पात्र थे। अतः इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए दिनांक 1—1—1996 के पूर्व/31—12—1995 तक भर्ती समस्त आरक्षी जो दिनांक 1—1—1999 को 40 वर्श से अधिक आयु के न हो हो तथा 1—1—96 से पूर्व/31—12—1995 तक मुख्य आरक्षी के पद पर प्रोन्नति पाये विभिन्न शाखाओं के ऐसे समस्त कर्मी जो 40 वर्ष से अधिक आयु के न हो अर्ह थें।

13— उपरोक्त प्रस्तर 11 से स्पष्ट है कि वर्तमान नियमों के अनुसार 31.12.1995 तक के भर्ती समस्त आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस, आरक्षी पीएसी तथा दिनांक 31—12—1995 तक मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस, मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं मुख्य आरक्षी पीएसी के रूप में प्रोन्नति हो चुके कार्यरत समस्त कर्मियों को अपने—अपने संवर्ग में पदोन्नति के लिए विचारक्षेत्र में रखा जायेगा ।

14— इस क्रम में अवगत कराना है कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदो हेतु पदोन्नति के संबंध में पूर्व में की गयी तथा वर्तमान में प्रचलित कार्यवाहियां निम्नवत् हैः—

(1)**आरक्षी ना0पु0 से मुख्य आरक्षी ना0पु0** :— आरक्षी ना0पु0 से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर दिनांक 31—12—1981 तक के भर्ती सभी आरक्षियो की वरिष्ठता प्रकाशित कर 17832 आरक्षियों को मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही दिनांक 16—02—2014 को पूर्ण की जा चुकी है।

आरक्षी ना0पु0 से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही हेतु वर्ष 1982 से पूर्व की सूची पूर्व में ही तैयार की गयी थी तथा वर्ष 1982 से 1996 तक के आरक्षी ना0पु0 की सूची उ0प्र0 नामिनल रोलडाटा बेस प्रणाली पर उपलब्ध सूचनानुसार सूची तैयार कर पुलिस की बेवसाइड http://uppolice.gov.inpage.aspx?estt.-matters-of-civil-police पर समस्त सम्बन्धित के सूचनार्थ एवं विद्यमान त्रुटियों के निवारण व प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या—पॉच—2500(वरिष्ठता)2014, दिनांक—19—10—2014 द्वारा प्रकाशित करते हुये प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये 08 दिवस का समय एवं प्रत्यावेदन निस्तारित कर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर 15 दिवस के अन्दर सूचना पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत किया जा चुका है।

(2) **आरक्षी सशस्त्र पुलिस से मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिसः**—आरक्षी सशस्त्र पुलिस से मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस के पद पर वर्ष—1977 तक के भर्ती आरक्षियों की वरिष्ठता प्रकाशित कर 1996 आरक्षियों को मुख्य आरक्षी स0पु0 के पद पर पदोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की की जा रही है।

(3) **आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी पीएसीः**—आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर वर्ष 1984 तक के भर्ती आरक्षियों की वरिष्ठता प्रकाशित कर 1976 आरक्षियों को मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही दिनांक 22—4—2014 को पूर्ण की जा चुकी है।

वर्तमान में मुख्य आरक्षी पीएसी की 472 रिक्ति पर पदोन्नति के लिए आरक्षी पीएसी की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गयी है। आरक्षी पीएसी की वर्ष—2012 तक की 4033 रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है। आरक्षी पीएसी की प्रचलित भर्ती प्रकिया पूर्ण होने पर आरक्षी पीएसी के 472 कर्मियों को हेड कान्स0 पीएसी के पद पर प्रोन्नति हो सकेगी,जिसमें दिनांक 31—12—1985 तक के भर्ती आरक्षी आ सकेंगे।

वर्तमान में आरक्षी पीएसी की उपलब्धता 2C052 तथा मुख्य आरक्षी पीएसी की उपलब्धता 5992 है। अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार आरक्षी पीएसी व मुख्य आरक्षी पीएसी की उपलब्धता का अनुपात **3.5 : 1 जो आनुपातिक दर 4.5 : 1 से अधिक है।**

(4) **मुख्य आरक्षी ना0पु0 से उ0नि0ना0पु0**—मुख्य आरक्षी ना0पु0 से उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सातवॉ संशोधन) नियमावली—2013 के अनुसार ही मुख्य आरक्षी ना0पु0 से उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु वरिष्ठता सूची दिनांक 7—6—2014 को पत्र संख्या पॉच—111(वरिष्ठता)2013 के द्वारा पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.inpage.aspx?estt.-matters-of-civil-policeपर अपलोड की गयी है।

वर्ष 2001 तक मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नति पाये कर्मियों की वरिष्ठता सूची मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति की तिथि के आधार पर तैयार की जा रही है, जो उप निरीक्षक ना0पु0 विभागीय प्रोन्नति के लिए उपलब्ध 2388 रिक्तियों के सापेक्ष प्रोन्नति हो सकेगी।

(5) **मुख्य आरक्षी स0पु0/मुख्य आरक्षी पीएसी से उ0नि स0पु0/उ0नि0 पीएसी (प्लाटून कमाण्डर)** :– मुख्य आरक्षी स0पु0 /मुख्य आरक्षी पीएसी से उ0नि0स0पु0/उ0नि0 पीएसी (प्लाटून कमाण्डर) के पद पर वर्ष–1984 तक के सभी मुख्य आरक्षी स0पु0/मुख्य आरक्षी पीएसी की वरिष्ठता प्रकाशित कर 456 मुख्य आरक्षी स0पु0/मुख्य आरक्षी पीएसी को उ0नि0स0पु0/उ0नि0 पीएसी (प्लाटून कमाण्डर) के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही दिनांक 20–8–2014 को पूर्ण की जा चुकी है।

उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के विभागीय प्रोन्नति हेतु दिनांक 30–6–2015 तक की सेवानिवृत्त व अन्य कारणों से लगभग 97 रिक्तियॉ उपलब्ध होने की संभावना है, जिसके सापेक्ष मुख्य आरक्षी पीएसी/मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस से उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर पद पर प्रोन्नति अगले चयन वर्ष–2015 में की जायेगी, जिसमें दिनांक 31–12–85 तक के मुख्य आरक्षी आ सकेंगे।

15– **उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग–1960–61 के मानक के आधार पर–**

शहरी पुलिस स्टेशन–आबादी 50000

ग्रामीण पुलिस स्टेशन–आबादी 75000 से 90000

क्षेत्रफल 113 वर्ग मील या 293.67 वर्ग किलोमीटर

शहरी पुलिस स्टेशन में हेड कान्स0 (लेखक) का मानक निम्नवत् है:–

300 संज्ञेय अपराध पर– 01 हेड कान्स0

300 से 500 संज्ञेय अपराध पर–02 हेड कान्स0

5001 से ऊपर संज्ञेय अपराध पर–03 हेड कान्स0

ग्रामीण पुलिस स्टेशन पर हेड कान्स0 (लेखक) परन्तु अपराध के आधार पर उपरोक्तानुसार मानक है।

रिपोर्टिंग आउट पोस्ट के लिए मानक निम्नवत् है:–

01 उप निरीक्षक, 01 हेड कान्स0 और 07 कान्स0

विशेष ग्रामीण आउट पोस्ट के लिए मानक निम्नवत् है:–

01 हेड कान्स, 04 कान्स0

16– **शासनादेश संख्या–4147/6–पु–1–08–120/08, दिनांक 11–12–2008** के आधार पर वर्तमान में बढ़ी हुई आबादी, शान्ति व्यवस्था व अन्य बदली हुई परिस्थिति में शासन द्वारा निम्न थाने का मानक निर्धारित है:–

(क) स्थिर नियतन		निरीक्षक	उ0नि0 ना0पु0	मुख्य आरक्षी		कान्स0	चतुर्थ श्रेणी
				मु0आ0 ना0पु0	मु0आ0 / कन्सोल आपरेटर		
1.	प्रभारी	01	–	–	–	–	–
2.	कार्यलेख एवं संचार नगरीय थाना– ग्रामीण थाना– (12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी)	 – –	 – –	 02 02	 – –	 02 02	
3.	कम्प्यूटर सिस्टम प्रबन्धन नगरीय थाना– ग्रामीण थाना–	 – –	 – –	 – –	 03 02	 – –	
4	संतरी					03	
5	हवालात ड्यूटी	–	–	01	–	02	
6	पैरवी/डाक	–	–	01	–	01	
7	मालखाना	–	–	01	–	01	
8	ट्रेनिंग रिजर्व/लीव रिजर्व	–	–	02	–	06	
चतुर्थ श्रेणी स्टाफ नगरीय थाना							03

ग्रामीण थाना						03
(ख) विवेचना विवेचना एवं शांति व्यवस्था को अलग–अलग कराना है	–	01	01	–	–	–
(ग) परिवर्तनीय नियतन						
1. शान्ति व्यवस्था						
नगरीय थाना प्रति 1000 आबादी पर	–	–	–	–	01	–
प्रति 06 कान्स0 पर	–	–	01	–	–	–
प्रति 03 हेड कान्स0 तथा 18 कान्स0 पर	–	01	–	–	–	–
ग्रामीण थाना प्रति 1000 आबादी पर	–	–	–	–	01	–
प्रति 06 कान्स0 पर	–	–	01	–	–	–
प्रति 03 हेड कान्स0 तथा 18 कान्स0 पर	–	01	–	–	–	–
कुल योग नगरीय थाना	01	जन संख्या के आधार पर प्रति 03 हे0कां0 पर 01 उपनिरीक्षक	09 प्रत्येक 06 कां0 पर 01 हे0कां0	03	13 थानों अन्तर्गत प्रत्येक 1000 की आबादी पर 01 कां0	03
कुल योग ग्रामीण थाना	01	तदैव	तदैव	02	13 प्रत्येक 1500 आबादी पर 01 कां0	

17– उपरोक्त से स्पष्ट है कि पुलिस के संगठनात्मक ढॉचें में विभिन्न कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस व आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों का सृजन विभिन्न अनुपातों में किया गया है। इस प्रकार से सृजित समस्त पदो के योग से आरक्षी नागरिक पुलिस का नियतन निर्धारित किया गया है जो वर्नमान 222229 है तथा मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस का नियतन 52795 है। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण नियतन के अनुसार लगभग 04 आरक्षियों पर 01 मुख्य आरक्षी का अनुपात रहता है। अतः रिक्तियॉ विद्वमान होते हुए भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रोन्नति इस प्रकार की जाये जिससे यह अनुपात बना रहें। वर्तमान में कुल 83415 आरक्षी ना0पु0 उपलब्ध है तथा इसके सापेक्ष कुल 26055 मुख्य आरक्षी ना0पु0 उपलब्ध है, जिसका अनुपात लगभग **3.2 : 1** का है, जो निर्धारित मानक **4 : 1** से कुछ अधिक है। निकट भविष्य में लगभग 35500 आरक्षियों की प्रचलित भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने पर यदि **4 : 1** अनुपात में प्रोन्नति की जाती है तो भी कुल 8875 पदों पर ही मुख्य आरक्षी ना0पु0 की प्रोन्नति नियमों के अन्तर्गत हो सकेगी, जिसमें वर्ष 1985–86 बैंच के आरक्षियों के प्रोन्नत होने की संभावना है।

18– यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि जो मुख्य आरक्षी ना0पु0 तथा आरक्षी ना0पु0 की रिक्तिया विद्यमान है वह पूर्व से प्रचलित पदो के सापेक्ष रिक्तियों के कारण नहीं है बल्कि शासनादेश संख्या 4147/छः–पु0–1–08–120/08 दिनांक 11.12.2008 द्वारा सृजित मुख्य आरक्षी ना0पु0 की 40824 तथा आरक्षी ना0पु0 की 151726 पद नवसृजित होने के कारण है। इस सम्बन्ध में पूर्ति करने के लिए 35844 पदो के सापेक्ष आरक्षी ना0पु0 की भर्ती की गयी। इनके अनुपात से अधिक 2014 में आरक्षी ना0पु0 से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर वर्ष 1981 बैच तक के भर्ती 17832 आरक्षी ना0पु0 को मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। वर्तमान में 35500 आरक्षी ना0पु0 की भर्ती की प्रक्रिया प्रचलित है। जैसे–जैसे भर्ती के उपरान्त आरक्षी ना0पु0 के पद की रिक्तियों को पूर्ण किया जायेगा तदनुसार मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति दी जायेगी।

19– पुलिस उपमहानिरीक्षक,पीएसी मुख्यालय के अ0शा0 पत्र संख्या–24–89, दिनांक 23–8–1989 के अनुसार पीएसी की वाहिनी में 828 आरक्षी पीएसी के सापेक्ष 182 मुख्य आरक्षी पीएसी का नियतन निर्धारित है। इससे स्पष्ट है कि आरक्षी पीएसी और मुख्य आरक्षी पीएसी का अनुपात लगभग 4.5 : 1 है।

20– अतः इस प्रकार वर्तमान नियमों के अनुसार निकट भविष्य में प्रचलित भर्ती प्रकियाओं के पूर्ण होने पर वर्ष1986 तक के भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पुलिस के पद

पर प्रोन्नति पाने की संभावना है। इसी तरह 2001 तक प्रोन्नति हुए मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर विचारित होने की संभावना है। वर्ष–1977 तक के भर्ती आरक्षी सशस्त्र पुलिस से मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस के पद पर प्रोन्नति की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है। आरक्षी पीएसी से मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर वर्ष 1985 तक भर्ती आरक्षी पीएसी के प्रोन्नति होने की संभावना है। इसी तरह वर्ष 1985 तक के मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस /मुख्य आरक्षी पीएसी के कर्मियों की उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर प्रोन्नति पाने की संभावना है।

21– प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ याचीगण द्वारा योजित दो रिब्यू अप्लीकेशन पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों में पारित होने वाले निर्णय के अनुसार भावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

21/8/14

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालाध्यक्ष को सिविल अपील संख्या–6549/20104, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–8400/2008 प्रदीप कुमार राय व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के साथ बंच अन्य विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित निर्णय दिनांक 15–7–2014 के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु योजित रिट याचिका संख्या–5679(एसएस)/2014 सतीश कुमार द्विवेदी बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15–10–2014 एवं इसी प्रकार की उप निरीक्षक ना0पु0 रैंकर परीक्षा–1999 में असफल अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद/उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ योजित रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने अधीन जनपद/इकाई में नियुक्त उप निरीक्षक ना0पु0 रैंकर परीक्षा–1999 की मुख्य लिखित परीक्षा में सफल समस्त कर्मियों को उपरोक्तनुसार सूचित करने की कृपा करें।

प्रतिलिपि पुलिस उमहानिरीक्षक तकनीकी सेवायें,चतुर्थ तल जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस पत्र को उ0प्र0 पुलिस बेवसाइड प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी/सेनानायक से उक्त निर्देश का समय से अनुपालन कराने एवं विशेष वाहक/फैक्स के माध्यम से सूचना भिजवाने की कृपा करें:–

1– समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स/पुलिस महानिरीक्षक,पीएसी जोन्स उ0प्र0।
2– समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ0प्र0।
3– समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी सेक्टर, उ0प्र0।

संख्या तथा दिनांक वहीं।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– पुलिस उप महानिरीक्षक,ए0टी0एस0 लखनऊ।
2– समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/सेनानायक पीएसी वाहिनी उ0प्र0।
3– समस्त प्रशिक्षण संस्थान/आरटीसी उ0प्र0।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–पुलिस उपमहानिरीक्षक,एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
2–उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण इलाहाबाद/लखनऊ/गाजियाबाद/नोयडा/बरेली।
3–निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
4–आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
5–पुलिस अधीक्षक,पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
6–पुलिस अधीक्षक,सीबीआई लखनऊ।
7–पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वहीं

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया वॉछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी उचित निर्देश देने की कृपा करें :–

1–अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक,उ0प्र0 लखनऊ।
2–पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।
3–सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
4–विशेष सचिव–गृह,उ0प्र0 शासन गृह(पुलिस)अनुभाग–1,लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

संख्या तथा दिनांक वहीं

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त सूचना फैक्स/ई मेल/दूरभाष के माध्यम से भेजना/अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे:–

1– प्रभारी फैक्स सेल/कन्ट्रोल रूम, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
2– प्रभारी आई0टी0 सेल, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।